जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 29.08.2023

आज दिनांक 29.08.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री अखिल कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा युवती से दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्रीमती दीपांशी राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में **प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद *श्री सर्वेश राय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा** मु0अ0सं0 787/2023 धारा 376(2)(n) / 323 / 504 / 506 / 406 / 341 भा0द0वि0 व 3(1)द,ध 3(2)(v)(2va) SC/ST Act के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता मनोज कुमार पुत्र भरतलाल निवासी गोरयाभार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को कटहवा मोड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, साथ ही उसको जातिसूचक शब्दों को प्रयोग करते हुए मारपीट आदि की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 29.08.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव, कां0 सत्येन्द्र कुमार सिंह, कां0 अभिषेक पाल।

थाना महुली पुलिस द्वारा युवती से दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री बृजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महुली ***श्री भगवान सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 409/2023 धारा 376 / 504 / 506 भा0द0वि0 व 3(2)(v) व 3(1)W(2) SC/ST Act के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता इरशाद पुत्र निसार निवासी छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को कस्बा महुली से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, साथ ही उसको जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट आदि की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 29.08.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, कां0 विजय कुशवाहा।

फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत 02 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत ***थाना धनघटा पुलिस** द्वारा* 02 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता 1-श्याम अवध पुत्र तुलसी निवासी प्रजापतिपुर थाना धनघटा 2-फिरोज पुत्र शमी निवासी सोनहन थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामकुशल सिंह,उ0नि0 श्री विरेन्द्र मिश्र, कां0 गुड्डु यादव, कां0 गौरव चौहान।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 55 वाहनों से 47,500 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया गया

आज दिनांक 29.08.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी नि376,504,506,406 भादवि 3(1)द,ध 3(2)(v)(2v) SC/ST Act थाना कोतवाली खलीलाबादरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 55 वाहनों से 47,500 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया।